

(1)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

कार्यालय आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के प्रभावी एवं सफल कियान्वयन के लिए पूर्व में प्रसारित इस कार्यालय के आदेश क्रमांक मु.अ./सानि/अमुअ(मु)/ ३७/सू.अ./०५/डी-७०३ दिनांक २३.१.०७ में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं को अपने-अपने कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराने हेतु लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं। सम्बन्धित अपील अधिकारी निम्न प्रकार होंगे :-

<u>क्र. सं.</u>	<u>लोक सूचना अधिकारी</u>	<u>अपीलेन्ट अधिकारी</u>
1	अधिशासी अभियन्ता	सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता
2	अधीक्षण अभियन्ता	सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
3	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव

उप सचिव (कार्य)
सा.नि.वि. राज., जयपुर

क्रमांक मु.अ./सानि/सू.अ. अनु./०७/डी-५० दिनांक ३०-०६-२००७

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है:-

- (1) निजी सचिव, माननीय मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।
- (2) प्रमुख शासन सचिव, गृह (ग्रुप-६) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को कार्यालय आदेश क्रमांक प.३(२५)ग्रह-६/०६ दिनांक ०३-०५-२००७ के क्रम में प्रेषित है।
- (3) प्रमुख शासन सचिव, सा.नि.पि., शासन सचिवालय, जयपुर।
- (4) शासन सचिव, सा.नि.वि., शासन सचिवालय, जयपुर।
- (5) सचिव, राजस्थान सूचना आयोग ओ.टी.एस. जे.एल.एन. मार्ग जयपुर।
- (6) मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।
- (7) मुख्य अभियन्ता (पथ प्रथम/द्वितीय/एन.एच/पीएमजीएसवाई) कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।
- (8) अधीक्षण अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक प्रथम, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।
- (9) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि., सभाग (समस्त) राजस्थान, जयपुर।
- (10) अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि., वृत (समस्त) राजस्थान, जयपुर।
- (11) अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि., खण्ड (समस्त) राजस्थान, जयपुर।
- (12) अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय)/समस्त अनुमान मुख्य अभियन्ता, कार्यालय सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।

उप सचिव (कार्य)
सा.नि.वि. राज., जयपुर

(2)

(4)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

कार्यालय आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी एवं सफल कियान्वयन के लिये, पूर्व आदेशों के क्रम में अधिनियम की धारा 5(2) के तहत उपखण्डीय स्तर पर सहायक अभियंताओं को 'सहायक लोक सूचना अधिकारी' नियुक्त किया जाता है।

वह आवेदन कर्ता से प्राप्त आवेदन एवं अपील भीमो आदि के प्राप्त होने पर अधिकतम 5 दिवस में संबंधित लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित किया जाना, वांछित दी जाने वाली सूचना आदि का ब्यौरा निर्धारित पंजिका में संधारित करते हुए प्रगति रिपोर्ट लोक सूचना अधिकारी को नियमित रूप से प्रेषित करना, एवं अधिनियम में निर्धारित अन्य कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करेंगे अन्यथा असफल रहने पर वह नियमानुसार दण्ड के भागीदार होंगे।

(103)
उप सचिव(क्रमी) ०८
साठनिठवि०, राज०, जयपुर

क्रमांक सीई/सानि/सूअ./०८/डी- ३४।

दिनांक १५/९/२००८

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, माननीय मंत्री साठनिठवि०, राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 प्रमुख शासन सचिव, गृह(ग्रुप-६) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
- 3 प्रमुख शासन सचिव, साठनिठवि०, शासन सचिवालय, जयपुर
- 4 शासन सचिव साठनिठवि०, शासन सचिवालय, जयपुर
- 5 सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, हरिश्चन्द्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
- 6 मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, साठनिठवि०, राज०, जयपुर
- 7 लोक सूचना अधिकारी, अधीक्षण अभियंता एवं तकनिकी सहायक, मु०अ०. एस/एस/वी ओ टी/एन एच/पी एम जी एस वाई/ भवन/ तकनिकी सहायक- प्रथम, अधिकारी अभियंता (मुख्यालय) कार्यालय मुख्य अभियंता, साठनिठवि०, राज०, जयपुर
- 8 लोक सूचना अधिकारी, एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता, साठनिठवि० सभाग समस्त को प्रेषित कर लेख है कि अपने संभाग के अधीनस्थ नियुक्त राग्रत सहायक लोक सूचना अधिकारियोंको अपने रार रो रूचित करें।

(104)
उप सचिव(क्रमी) ११
साठनिठवि०, राज०, जयपुर

३

८

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक सीई/ सानि/ सू.आ./ ०८/ डी- १०

दिनांक १५/०४/२००९

कार्यालय आदेश

उप शारान सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर की अ.शा.टीप सं.प.३(९) गृह-६/ २००७ दिनांक २३.१२.०८ एवं प्रमुख शासन सचिव के अ.शा.टीप सं.प.३(१७) गृह-६/ २००७ दिनांक ३०.०३.०९ की पालना में सूचना के अधिकार अधिनियम २००५ से सम्बंधित प्रकरणों/ मोनेटरिंग हेतु इस विभाग के अधीक्षण अभियता एवं तकनिकी सहायक प्रथम, साठनी०वि०, राज०, जयपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

किए और कैसे

मुख्य अभियन्ता एवं अति.सचिव,
साठनी०वि०, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक सीई/ सानि/ सू.आ./ ०८/ डी- १०

दिनांक १५/०४/२००९

- प्रतिलिपि प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ), शासन सचिवालय जयपुर को सूचनार्थ प्रस्तुत है।
- प्रतिलिपि प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग शासन सचिवालय जयपुर को सूचनार्थ प्रस्तुत है।
- प्रतिलिपि प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग शासन सचिवालय जयपुर को सूचनार्थ प्रस्तुत है।
- प्रतिलिपि शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग शासन सचिवालय जयपुर का सूचनार्थ प्रस्तुत है।
- प्रतिलिपि अधीक्षण अभियता एवं तकनिकी सहायक-प्रथम, साठनी०वि०, राज० जयपुर को पालनार्थ एवं प्रत्येक माह के तीसरे सोमवार को प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सूचना के अधिकार सम्बंधी प्रकरणों की प्रोग्रेस के साथ उपस्थित होने हेतु प्रेषित है।

किए और कैसे

मुख्य अभियन्ता एवं अति.सचिव,
साठनी०वि०, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग

4

205
9

कांक:- सीई/सार्व/सू.ड. ।।०।३७ - २६८

दिनांक:- ।। - ६ - २०१०

कार्यालय आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी एवं सफल कियान्वन के संबंध में पूर्व में जारी आदेश कमांक प14(1)सानि/2001 दि0 24.7.2007 एवं मुख्य अभियन्ता कार्यालय से जौरी आदेश कमांक मु.अ./सानि/सू.अ.अनु/07/डी-340 दि0 06.08.2007 व आदेश कमांक मु.अ./सानि/सू.निम्न अधिकारियों को अपने अपने कार्य क्षेत्र का लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है:-

क्र. सं०	लोक सूचना अधिकारी	अपील अधिकारी
1	अधीक्षण अभियंता एवं तकनीकी सहायक-प्रथम, मुख्य अभियंता	मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव
2	अधीक्षण अभियंता (पथ)	मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव
3	अधीक्षण अभियंता (एन०एच)	मुख्य अभियंता (एन०एच)
4	अधीक्षण अभियंता (पीएमजीएसवाई)	मुख्य अभियंता (पीएमजीएसवाई)
5	अधीक्षण अभियंता (बी०ओ०टी०)	मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव
6	अधीक्षण अभियंता (यातायात)	मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव
7	अधीक्षण अभियंता (भवन)	मुख्य अभियंता (भवन)
8	अधीक्षण अभियंता (एस०एस०)	मुख्य अभियंता (एस०एस०)
9	उद्यानविज्ञ, सा०नि०वि, राज० जयपुर	मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव
10	अधिशासी अभियंता (मुख्यालय)	मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव

आज्ञा से,

४-२
(सागर मल मीणा)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय सा.नि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा०नि० विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सा०नि० विभाग।
5. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, ओ.टी.एस. जे.एल.एन मार्ग, जयपुर।
6. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, सा०नि०वि, राज०, जयपुर।
7. संबंधित अधिकारी।
8. रक्षित पत्रावली।

४-२
(का०पा०)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग

क्रमांक: एफ.14(1)सानि/01

जयपुर, दिनांक 14 FEB 2011

आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी एवं सफल कियान्त्रित के संबंध में पूर्व में जारी संमस्थानिक आदेश दि 0 24.7.2007 एवं मुख्य अभियन्ता कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक मु.अ./सानि/सू.अ.अनु. 07/डी-340 दि 0 06.08.2007 व आदेश क्रमांक मु.अ./सानि/सू.अ. 08/डी-353-360 दि 0 25.9.2008 एवं क्रमांक सीई/ सानि/सू.अ. 10/डी-268 दि 0 11.06.2010 के अतिक्रमण में निम्न अधिकारियों को अपने अपने कार्य क्षेत्र का लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है:-

क्र सं	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1.	वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, मुख्य अभियन्ता कार्यालय, सा० नि० वि० जयपुर।	मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव सा० नि० वि० विभाग जयपुर।
2.	वरिष्ठ अधीक्षक उद्यान, सा० नि० वि० जयपुर।	उद्यानविज्ञ, सा० नि० वि० जयपुर।
3.	वरिष्ठ अधीक्षक उद्यान सा० नि० वि० जोधपुर।	अधीक्षण अभियन्ता, वृत् जोधपुर सा० नि० वि० जोधपुर।
4.	वरिष्ठ अधीक्षक उद्यान, सा० नि० वि० उदयपुर।	अधीक्षण अभियन्ता वृत् उदयपुर, सा० नि० वि० उदयपुर।
5.	वरिष्ठ अधीक्षक उद्यान, सा० नि० वि० कोटा।	अधीक्षण अभियन्ता, वृत् कोटा, सा० नि० वि० कोटा

आज्ञा से,

द्वन्द्व -

(दिनेश कुमार गुप्ता)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निजी सचिव, माननीय सा.नि.वि मंत्री महोदय।
- निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधान विभाग।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन राचिव, सा० नि० वि० विभाग।
- निजी सचिव, शासन सचिव सा० नि०।
- सचिव राजस्थान सूचना आयोग, ओ.टी.एस. जेएलएन मार्ग, जयपुर।
- मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव सा०नि०वि०राज०, जयपुर।
- संबंधित अधिकारी।
- अधीक्षण अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक प्रथम जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

द्वन्द्व -

शासन उप सचिव

(6)

(11)

राजस्थान सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग
क्रमांक: एफ. 14 (1)-सानि/01

जयपुर दिनांक

आदेश

13 DEC 2011

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी एवं सफल कियान्वन के संबंध में पूर्व मे जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 24.7.2007 एवं मुख्य अभियन्ता कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक मु.अ./सानि/सू.अ.अनु. 07/डी-340 दिनांक 06.08.2007 व आदेश क्रमांक मु.अ./सानि/सू.अ.अनु.08/डी-353-360 दिनांक 25.09.2008 एवं क्रमांक सीई/सानि/सू.अ. 10/डी-268 दिनांक 11.06.2010 एवं दिनांक 14.02.2011 के अतिकरण मे निम्न अधिकारियों को अपने अपने कार्य क्षेत्र का लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

क्र. सं.	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1.	अधीक्षक उद्यान, साठनिवि, जयपुर	उद्यानविज्ञ, साठनिवि जयपुर।
2.	अधीक्षक उद्यान साठनिवि, अलवर	अधीक्षण अभियन्ता, वृत अलवर, साठनिवि अलवर।

आज्ञा से

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय सा.नि.वि मंत्री मङ्गोदय।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.नि.वि.भाग।
- निजी राजिव, शासन सचिव सा.नि.वि.भाग।
- सचिव राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर।
- मुख्य अभियन्मा एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव साठनिवि राज० जयपुर।
- संबंधित अधिकारी।
- अधीक्षण अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक प्रथम जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

13 DEC 2011

7

255
12

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक सीई/सानि/सू.अ./13/डी-२५५ दिनांक:-२४/११/३

आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में पूर्व में जारी आदेश क्रो. प14(1)/सानि दि0 24.7.2007 एवं इस कार्यालय के आदेश क्रो. मु.अ./सानि/सू.अ.अनु.07/डी-340 दि0 6.8.2007 व आदेश क्रो. मु.अ./सानि/सू.अ.अनु.08/डी-353-360 दि0 25.9.2008 एवं क्रो. सीई/सानि/सू.अ. 10/डी-268 दि0 11.6.10 एवं दि0 14.2.2011 एवं दि0 13.12.11 के अतिक्रमण में मुख्य अभियन्ता कार्यालय के निम्न अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र का लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

क्र.सं	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	वरिष्ठ लेखा अधिकारी(प्रथम), सांनिंवि0, जयपुर।	वित्तीय सलाहाकार, सांनिंवि0, जयपुर।
2	वरिष्ठ लेखा अधिकारी(द्वितीय), सांनिंवि0, जयपुर।	वित्तीय सलाहाकार, सांनिंवि0, जयपुर।
3	मुख्य विधि सहायक सांनिंवि0, जयपुर।	संयुक्त विधि परामर्शी, सांनिंवि0, जयपुर।

उप सचिव(कार्य)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय सांनिंवि0 मंत्री महोदय।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सांनिंवि0 विभाग।
- निजी सचिव, शासन सचिव सांनिंवि0विभाग।
- सचिव राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर।
- संबंधित अधिकारी।
- रक्षित पत्रावली।
- संलग्नान्वयन दस्तावेज़।

उप सचिव(कार्य) 28/५/३
सांनिंवि0 जयपुर

(8)

221

(3)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-सीई/सा नि /सू.अ./14/डी- । 688

दिनांक:- 02/01/15

कार्यालय आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी एवं सफल फियान्वन के संबंध में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक पा14(1)सानि/2001 दि0 24.7.2007 एवं इस कार्यालय के आदेश क्रमांक मु.अ./रानि/सू.अ.अनु/07/डी-340 दि0 06.08.2007 व आदेश क्रमांक मु.अ./सानि/सू.अ./08/डी-353-360 दि0 25.9.2008 एवं क्र0 सी ई/सा नि /सू.अ.10/डी-268 दि0 11.6.10 एवं दि0 14.2.2011 एवं 13.12.11 एवं क्र0 सी ई/सा नि /सू.अ./13/डी-255 दि0 28/5/13 के अतिक्रमण में मुख्य अभियन्ता कार्यालय के निम्न अधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र का लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया जाता है:-

क्र. सं०	लोक सूचना अधिकारी	अपील अधिकारी
1	अधिशासी अभियन्ता(क्यू०सी०)	मुख्य अभियन्ता (क्यू०सी०)

उपसचिव(कार्य)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय सा.नि मन्त्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा०नि० विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सा०नि० विभाग।
5. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर।
6. संबंधित अधिकारी।
7. रक्षित पत्रावली।
8. संभाग समस्त।

उपसचिव(कार्य)
रा०नि०वि०, राज०जयपुर

क्रमांक-सीई/सा नि /सू.अ./15/डी-५२७

दिनांक:- 29/6/15

कार्यालय आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी एवं सफल कियान्वन के संबंध में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक प14(1)सानि/2001-दि0- 24.7.2007 एवं इस कार्यालय के आदेश क्रमांक मु.अ./सानि/सू.अ.अनु/07/डी-340 दि0 06.08.2007 व आदेश क्रमांक मु.अ./सानि/सू.अ./08/डी-353-360 दि0 25.9.2008 एवं क्र0 सी ई/सा नि /सू.अ.10/डी-268 दि0 11.6.10 एवं दि0 14.2.2011 एवं 13.12.11 एवं क्र0 सी ई /सा नि /सू.अ./13/डी-255 दि0 28/5/13 एवं क्र0 सी ई /सा नि /सू.अ./14/डी-1688 दि0 2/1/15 के अतिक्रमण में विभाग के निम्न अधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र का लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया जाता है:-

क्र. सं	लोक सूचना अधिकारी	अपील अधिकारी
1	अधीक्षण अभियंता (भवन), सा०नि०वि, राज० जयपुर	मुख्य अभियंता (भवन), सा०नि०वि, राज० जयपुर
2	अधीक्षण अभियंता (पी०पी०पी०- ।), सा०नि०वि, राज० जयपुर	अति० मुख्य अभियंता (पी०पी०पी०), सा०नि०वि, राज० जयपुर
3	अधीक्षण अभियंता (पी०पी०पी०- ॥), सा०नि०वि, राज० जयपुर	अति० मुख्य अभियंता (पी०पी०पी०), सा०नि०वि, राज० जयपुर
4	अधिशासी अभियंता, पी०डी०(पी०पी०पी०), बीकानेर	अधीक्षण अभियंता (पी०पी०पी०- ।), सा०नि०वि, राज० जयपुर
5	अधिशासी अभियंता, पी०डी०(पी०पी०पी०), जोधपुर	अधीक्षण अभियंता (पी०पी०पी०- ।), सा०नि०वि, राज० जयपुर)
6	अधिशासी अभियंता, पी०डी०(पी०पी०पी०), मालपुरा	अधीक्षण अभियंता (पी०पी०पी०- ।), सा०नि०वि, राज० जयपुर
7	अधिशासी अभियंता, पी०डी०(पी०पी०पी०) मालपुरा (सांगानेर-मालपुरा-भीलवाडा सड़क	अति० मुख्य अभियंता, सा०नि०वि, संभाग-अजमेर
8	अधिशासी अभियंता, पी०डी०(पी०पी०पी०), जयपुर- ॥	अधीक्षण अभियंता (पी०पी०पी०- ।), सा०नि०वि, राज० जयपुर
9	अधिशासी अभियंता, पी०डी०(पी०पी०पी०), डीडवाना	अधीक्षण अभियंता (पी०पी०पी०- ।), सा०नि०वि, राज० जयपुर
10	अधिशासी अभियंता, पी०डी०(पी०पी०पी०), कोटा	अधीक्षण अभियंता (पी०पी०पी०- ॥), सा०नि०वि, राज० जयपुर
11	अधिशासी अभियंता, पी०डी०(पी०पी०पी०), अलवर	अधीक्षण अभियंता (पी०पी०पी०- ॥), सा०नि०वि, राज० जयपुर

29/6/15

12	अधिशासी अभियंता, पी०डी०(पी०पी०पी०), उदयपुर	अधीक्षण अभियंता (पी०पी०पी०- ।।), सा०नि०वि, राज० जयपुर.
13	अधिशासी अभियंता, पी०डी०(पी०पी०पी०), जयपुर-।	अधीक्षण अभियंता (पी०पी०पी०- ।।), सा०ने०वि, राज० जयपुर
14	अधिशासी अभियंता, सा०नि०वि, खण्ड-दूदू	अधीक्षण अग्रियंता, सा०नि०वि, ग्रामीण वृत जयपुर
15	अधिशासी अभियंता, सा०नि०वि, खण्ड-चाकसू	अधीक्षण अभियंता, सा०नि०वि, ग्रामीण वृत जयपुर
16	अधिशासी अभियंता, सा०ने०वि, खण्ड-बस्सी	अधीक्षण अभियंता, सा०नि०वि, ग्रामीण वृत जयपुर
17	अधिशासी अभियंता, सा०नि०वि, खण्ड-कोटपुतली	अधीक्षण अभियंता, सा०नि०वि, ग्रामीण वृत जयपुर

29/6/15

उपसचिव(कार्य)
सा०नि०वि०, राज० जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय सा.नि मत्रीं महोदय।
 2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
 3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा०नि० विभाग।
 4. निजी सचिव, शासन सचिव, सा०नि० विभाग।
 5. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर।
 6. संबंधित अधिकारी।
 7. रक्षित पत्रावली।
8. संभाग समर्त।
9. अधीक्षण अभियंता, पी०डी०(पी०पी०पी०), बीमानेट, अरन्धपुर, को०२/३५४४८
 डाकाभाल, पद्म, अमृदेंद्रिय (पु०) न. काटूक अधिकारी, 29/6/15
 उपसचिव(कार्य)
 सा०नि०वि०, राज० जयपुर
- अधीक्षण अभियंता, पी०डी०(पी०पी०पी०), राजस्थान सरकार,
 अमृदेंद्रिय (पु०) न. काटूक अधिकारी, 29/6/15
 उपसचिव(कार्य)
 सा०नि०वि०, राज० जयपुर

१६ २५

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-सीई/सा नि /सू.अ./15/डी- ८ त्र ५

दिनांक:- ३१/८/१५

कार्यालय आदेश

सूचना के आधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वन के संबंध में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक पा४(१)सानि/२००१ दि० २४.७.२००७ एवं इस कार्यालय के आदेश क्रमांकों मु.अ./सानि/सू.अ.अनु/०७/डी-३४० दि० ०६.०८.२००७ व आदेश क्रमांक मु.अ./सानि/सू.अ./०८/डी-३५३-३६० दि० २५.९.२००८ एवं क्र० सी ई/सा/१३/डी-२५५ दि० ११.६.१० एवं दि० १४.२.२०११ एवं १३.१२.११ एवं क्र० सी ई/सा/१३/डी-२५५ दि० २८/५/१३ एवं क्र० सी ई/सा/१४/डी-१६८८ दि० २/१/१५ एवं क्र० सी ई/सा/१५/डी-४२७ दि० २९/६/१५ के अतिक्रमण में विभाग के निम्न अधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र का लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया जाता है:-

क्र. सं०	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
१	अति० मुख्य अभियंता (प्रशासन), सा०नि०वि० राज० जयपुर	मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, सा०नि०वि० राज० जयपुर

ऋग्मि
उपसचिव(कार्य)
सा०नि०वि० राज० जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है:-

- निजी सचिव, माननीय सा.नि मत्री महोदय।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा०नि० विभाग।
- निजी सचिव, शासन सचिव, सा०नि० विभाग।
- सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर।
- संभाग समस्त- जयपुर प्रथम/द्वितिय/ अजमेर/ बीकानेर/ भरतपुर/ कोटा/ उदयपुर/ जोधपुर।
- अधीक्षणअभियन्ता एस०एस/ बीओटी/ पीएमजीएसवाई/ एनएच/ भवन/ यातायात/ पथ/ अधि अभियन्ता (मुख्यालय)/ वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/ उद्यानविज्ञ/ वरिष्ठ लेखाधिकारी(प्रथम)/ वरिष्ठ लेखाधिकारी(द्वितीय)/ मुख्य विधि सहायक जयपुर/ अधि०अभि०(क्यू०सी०)।
- संबंधित अधिकारी-अति० मुख्य अभियंता (प्रशासन), सा०नि०वि० राज० जयपुर
- रक्षित पत्रावली।

ऋग्मि
उपसचिव(कार्य)
सा०नि०वि० राज० जयपुर

कार्यालय आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन के संबंध में पूर्ति में जारी आदेश क्रमांक प्र० १४(१)सानि/२००१ दि० २४.७.२००७ एवं इस कार्यालय के आदेश क्रमांक भु.अ./सानि/सू.अ.अनु/०७/डी-३४० दि० ०६.०८.२००७ व आदेश क्रमांक मु.अ./सानि/सू.अ./०८/डी-३५३-३६० दि० २५.९.२००८ एवं क्र० सी.ई/सा.नि/सू.अ.१०/डी-२६८ दि० ११.६.१० एवं दि० १४.२.२०११ एवं १३.१२.११ एवं क्र० सी.ई/सा.नि/सू.अ./१३/डी-२५५ दि० २८/५/१३ एवं क्र० सी.ई/सा.नि/सू.अ./१४/डी-१६८८ दि० २/१/१५ एवं क्र० सी.ई/सा.नि/सू.अ./१५/डी-४२७ दि० २९/६/१५ एवं क्र० सी.ई/सा.नि/सू.अ./१५/डी-५७४ दि० ३१/७/१५ के अतिक्रमण में विभाग के निम्न अधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र का लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया जाता है:-

क्र. सं०	लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
१	अति० मुख्य अभियंता (विश्व बैंक), सा०नि०वि, राज० जयपुर	मुख्य अभियंता (पी०एम०जी०एस०वाई०) , सा०नि०वि, राज० जयपुर

४०

उपसचिव(कार्य)
सा०नि०वि०, राज०जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है:-

१. निजी सचिव, माननीय सा.नि मत्री महोदय, राज० जयपुर।
२. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सा०नि० विभाग, शासन सचिवालय, राज० जयपुर।
३. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग राज० जयपुर।
४. निजी सचिव, शासन सचिव, सा०नि० विभाग राज० जयपुर।
५. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग,, राज० जयपुर।
६. मुख्य अभियंता (पी०एम०जी०एस०वाई०), सा०नि०वि, राज० जयपुर
- ७ संभाग समस्त- जयपुर प्रथम/द्वितीय/ अजमेर/ बीकानेर/ भरतपुर/ कोटा/ उदयपुर/ जोधपुर।
८. अति० मुख्य अभियंता (प्रशासन)/ अधीक्षणाभियन्ता -तक० सहा० प्रथम /एसएस/ बीओटी/ पीएमजीएसवाई/ एनएच/ भवन/ यातायात/ पथ/ अधि० अभियन्ता (मुख्यालय)/ वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/ उद्यानविज्ञ/ वरिष्ठ लेखाधिकारी(प्रथम)/ वरिष्ठ लेखाधिकारी(द्वितीय)/ मुख्य विधि सहायक जयपुर/ अधि०अभि०(क्यू०सी०)।
९. संबंधित अधिकारी-अति० मुख्य अभियंता (विश्व बैंक), सा०नि०वि, राज० जयपुर
१०. रक्षित पत्रावली।

उपसचिव(कार्य)
सा०नि०वि०, राज०जयपुर

प्रारूप-1

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 6(1) के तहत निस्तारित आवेदन

नोडल अधिकारी एवं अधीक्षण अभियंता एवं तक0सहा0प्रथम

विभाग:-सार्वजनिक निर्माण विभाग

समयावधि वर्ष:- 2017-2018

राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त आवेदन (संख्या)			सूचना दी गई(संख्या)		अस्वीकृत	लम्बित	प्राप्त राशि(रु.मे)
कुल	जिला मुख्यालय पर	अन्य	समयावधि में	समयावधि पूर्चात			
1=2+3-=4+5+6+7	2	3	4	5	6	7	8
4729	2859	1870	4375	214	41	99	105323.00

(सुनील जयसिंह)

नोडल अधिकारी

अधीक्षण अभियंता एवं तक0सहा0प्रथम

साठनिविठि, राज०जयपुर

प्रारूप-2

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपीलों का निस्तारण
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:रा०लो०सू०अ०से वरिष्ठ अधिकारी ,विभाग-सार्वजनिक निर्माण विभाग

समयावधि वर्ष:- 2017-2018

कुल प्राप्त अपीलें(संख्या) $1=2+3+4$	स्वीकृत	अस्वीकृत	लम्बित(संख्या)
440	2	3	4

(सुनील जयसिंह)

नोडल अधिकारी

अधीक्षण अभियंता एवं तक0सहा०प्रथम

सा०नि०वि०,राज०जयपुर